15.03 hrs.

STATEMENT GIVING REASONS FOR IMMEDIATE LEGISLATION BY THE PUNJAB DISTURBED AREAS ORDINANCE, 1983.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : On behalf of Shri P.C. Sethi, I beg to lay on the Table ...

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : Mr. P.C. Sethi is present in the House. Why 'on his behalf' ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has already given in writing.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : On a point of procedure. When the Minister himself is present in the House, on his behalf somebody cannot do it...

MR. DEPUTY-SPEAKER : I agree with you.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sometimes even when both the husband and wife are present, only one speaks.

AN HON. MEMBER : Who is husband and who is wife ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Sir, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Punjab Disturbed Areas Ordinance, 1983.

———

15.04 hrs.

CHANDIGARH DISTURBED AREAS BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to make better provision for the suppression of disorder and for the restoration and maintenance of public order in disturbed areas in Chandigarh.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That leave be granted to introduce a Bill to make better provision for the suppression of disorder and for the restoration and maintenance of public order in disturbed areas in Chandigarh."

Mr. Chitta Basu, you have already spoken.

Mr. Fernandes...

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur) : I oppose this also on the same counts.

MR. DEPUTY-SPEAKER :

Prof Dandavate—not present.

Shri Indrajit Gupta—you have touched the subject.

Shri Harikesh Bahadur—where is he ?... He has gone.

Prof Ajit Kumar Mehta—you are the only member now to speak on this Bill.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पंजाब के तीनों बिलों को देखा है। इससे एक बात समझ में आती है कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है और यह राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित है।

संविधान के आर्टीकल 356 के अनुसार गवर्नर को यह अधिकार है कि वह राज्य की हालत को देखते हुए राष्ट्रपति से राष्ट्रपति-शासन लागू करने के लिए अनुरोध करे। लेकिन यहां हम

*Published in Gazette of India Extraordinary. Part II, Section 2 dt. 15.11-1983.

देखते हैं कि गवर्नर ने यह कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री दरबारा सिंह के अनुसार राज्य की हालत बिगड़ रही है और इसीलिए सरकार को भंग करने का अनुरोध किया गया है। मैं नहीं समझता कि इस बात की क्या आवश्यकता थी। अगर गवर्नर को वहां की हालत ऐसी लगती थी तो स्वयं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते थे, किसी के कहने के अनुसार राय देने का क्या अर्थ है।

दूसरी बात जब सरकार भंग की गई और इसलिए की गई कि वहां की हालत अच्छी नहीं है और सरकार उसको ठीक करने में सक्षम नहीं है तो वहां विधान सभा को भंग क्यों नहीं किया गया। शायद इसके पीछे यह भावना रही हो कि किसी तरह से अकाली दल के साथ या किसी और के साथ मिलजुल करके फिर सरकार बनाने का मौका मिले। जब इस तरह की बातों की संभावना थी तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया गया। सालभर पहले की बात है तब बात चल पड़ी थी कि अकाली दल के सहयोग से सरकार बने, फिर बाद में यह बातचीत बंद कर दी गई क्योंकि उसमें सत्तारूढ़ दल के लोगों का हित साधन नहीं हो रहा था।

तीसरी बात यह है कि इस आर्डिनेंस के पास होने के बाद पंजाब में कितनी गिरफ्तारियों हुई हैं उसमें एक्ट्रीमिस्ट और हिंसक तत्व कितने थे। मैं यहां पर स्मगलर्स और साधारण अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके ऊपर पंजाब की स्थिति बिगाड़ने का दोषारोपण किया जा सकता है। उनमें से कितनों को गिरफ्तार किया गया? अगर उनकी संख्या नगण्य है तो फिर इस कानून की क्या आवश्यकता थी।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कानून इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि दोषी व्यक्ति भले ही बच जाए लेकिन किसी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस आर्डिनेंस के जरिए आपने मामूली से पुलिस के हवलदार को या सेना के मामूली अधिकारी को इतने अधिकार दे दिए हैं कि वह बिना किसी ट्रायल के सजा दे सकता है। इस तरह से नागरिकों को जो संविधान में मूल अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन होता है।

इन शब्दों के साथ मैं इन सब बिलों का विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय इन पर विचार करें और इंट्रोड्यूज न करें।

SHRI P.C. SETHI : There is nothing more that I can add to what my colleague, Shri Laskar has said. Hon. Members will get ample opportunity when the discussion on the Bill comes. At the stage of introduction, the question of discussion on the merits and demerits of the Bill does not arise.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to make better provision for the suppression of disorder and for the restoration and maintenance of public order in disturbed areas in Chandigarh."

The motion was adopted.

SHRI P.C. SETHI : I introduce the Bill.

15.10 hrs.

STATEMENT GIVING REASONS FOR IMMEDIATE LEGISLATION BY THE CHANDIGARH DISTURBED AREAS ORDINANCE, 1983.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : I beg to lay on the Table an Explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Chandigarh Disturbed Areas Ordinance, 1983.